भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1293

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

जनजातीय छात्रों के आंकड़े

1293**. श्री गणेश सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्कूल में प्रवेश लेने वाले जनजातीय छात्रों के सांख्यिकीय आंकड़ों, स्कूल छोड़ने की दर में कमी और शिक्षा में गुणात्मक सुधार सहित प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार अर्ध-पर्वतीय और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय और समुदाय-विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं शुरू करने के लिए किसी दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीतिक योजना पर काम कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा संकेतकों संबंधी डेटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) प्रणाली तैयार की है। यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2014-15 और 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (अजा) के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है जो निम्नानुसार है:

मध्य प्रदेश (अजा)	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
2014-15	11.9	15.7	34.5
2023-24	2.6	12.2	24.8

(ख): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (एनसीईआरटी) द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों में बुनियादी योग्यता विकास का मूल्यांकन किया गया। इसमें 781 जिलों के 74,000 से अधिक विद्यालयों के 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों और 2.70 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। सतना जिले से 97 विद्यालयों के 2,699 विद्यार्थियों और 354 शिक्षकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तरीय रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा, को कार्यान्वित कर रहा है। अब इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

इस योजना के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढीकरण, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत छात्रावास, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत असंतृप्त अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण, बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जाती है ताकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकें।

*****